

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :- सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

सं. 118/2019
पीठासीन अधिकारी :- सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

सं. 2019/00259

1. सुखजीतकौर पुत्री श्री बिशनसिंह जाति जटसिख साकिन 15 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. जसवन्त सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह जाति जटसिख साकिन 15 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0।
3. अमृतपाल सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह जाति जटसिख साकिन 15 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0।
4. हरमीत कोर पत्नी जगतार सिंह जाति जटसिख साकिन 15 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0।

बनाम

1. दर्शन सिंह पुत्र सन्ता सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 पी एस
2. सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र धर्म सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 पी एस
3. चरण सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 पी एस
4. प्यारा सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 पी एस
5. धर्म सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 पी एस
6. हरबन्स सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 पी एस
7. लखविन्द्र कौर पुत्री दिलबाग सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 पी एस
8. हरप्रीत कौर पुत्री दिलबाग सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 पी एस
9. यशदीप सिंह पुत्र यशपाल सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 पी एस तहसील रायसिंहनगर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

अन्तर्गत धारा 53-88-209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री गुरप्रताप सिंह अधिवक्ता वादीगण
प्रतिवादीगण एक पक्षीय

रजु दिनांक 05.08.2019

:- निर्णय :-

दिनांक : 25.07.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण की वाके चक 15 पी एस तहसील रायसिंहनगर के खाता नं. 58/38 के मु.नं. 25-27-38-51-62-73 की कुल 15.841 है0(गै0मु0 रास्ता 0.013, नहरी 13.324, बारानी 2.429 गैरमु0 खाला 0.075 है.) खातेदारी भूमि में वादी सुखजीतकौर के नाम 0.253 है, व वादी जसवन्तसिंह के नाम 0.551 है, वादी अमृतपाल सिंह के नाम 0.551 है, व वादी हरमीतकौर के पति जगतार सिंह के नाम 9.961 है. हक एवं हिस्सा की खातेदारी भूमि है। जगतार सिंह द्वारा अपने अपने हक एवं हिस्सा की उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 17.6.2019 को अपनी पत्नी वादी हरमीतकौर को दान में दिया हुआ। इसी चक की संयुक्त खाता सं. 58/38 की कुल हिस्सा की भूमि में उक्त वादीगण के हक एवं हिस्सा की भूमि के अलावा शेष हिस्सा की भूमि प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के नाम अलग अलग हिस्सा की भूमि है। उक्त संयुक्त खाता की भूमि में हम वादीगण को हमारे हक एवं हिस्सा की भूमि में मौखिक घरेलु बंटवारा में निम्न प्रकार से भूमि प्राप्त हुई है :-
 1. वादी सुखजीतकौर को उसके हिस्सा की भूमि वाके चक 15 पी एस के खाता नं. 58/38 के मु.न. 27 प.न. 149/278 के कि.न. 20 /0.253 है. भूमि प्राप्त हुई है।
 2. वादी जसवन्तसिंह को उसके हिस्सा की भूमि वाके चक 15 पी एस के खाता नं. 58/38 के मु.न. 27 प.न. 149/278 के कि.न. 21/0.152, 22/0.228, 23/0171 है. कुल 0.551 है. भूमि प्राप्त हुई है।
 3. वादी अमृतपाल सिंह को उसके हिस्सा की भूमि वाके चक 15 पी एस के खाता नं. 58/38 के मु.न. 27 प.न. 149/278 के कि.न. 23 /0.057 है, 24/0.228, 25/0.228, कुल 0.513 है. व मु.न. 51 के कि.न. 18 के 0.038 है. बारानी कुल 0.038 है. भूमि प्राप्त हुई है।


उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

4. वादी हरमीतकौर को उसके हिस्सा की भूमि वाके चक 15 पी एस के खाता नं. 58/38 के मु.न. 27 प.न. 149/278 के कि.न. 18/0.126 है, 19/0.253, 21/0.076, कुल 0.455 है. व मु.न. 51 प. न. 146/281 के कि.न. 14/2 के 0.228 है. 17/0.253, 18/0.025 कुल 0.506 है। कुल तादाद 0.961 है। भूमि प्राप्त हुई है।

वादीगण घरेलु मौखिक बंटवारा अनुसार काबिज चले आ रहे है तथा उक्त बंटवारा अनुसार ही पानी बारी का भी विभाजन किया हुआ है। यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित है कि वादी हरमीतकौर को जो उसके हक एवं हिस्सा में भूमि बंटवारा में प्राप्त हुई है वह भूमि बंटवारा घरेलु में बंटवारा हुई थी, जगतार सिंह द्वारा उक्त भूमि दान वादी हरमीतकौर को दी जाकर कब्जा भूमि मय पानी हरमीतकौर को सुपुर्द किया है। वादीगण को बंटवारा में प्राप्त उक्त भूमि के अलावा अन्य जो संयुक्त खाता की भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 संयुक्त ही काश्त कर रहे है तथा संयुक्त ही रखना चाहते है। मौखिक घरेलु बंटवारा अनुसार प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 को कई बार तलब तकाजा किया जाता रहा है लेकिन प्रतिवादीगण हमेशा ही टालमटोल का रवैया अपनाते रहे है, आखिकार वादीगण द्वारा दिनांक 14.7.2019 को बुमकाम चक 15पी एस मौजिज व्यक्तियों की पंचायत इकट्टी की जाकर प्रतिवादीगण को घरेलु मौखिक बंटवारा अनुसार हम वादीगण के कब्जा अनुसार अलग-अलग किलाजात की भूमि का अमलदरामद करवाने व खाता विभाजन करवाने के लिए इन्कार हो गये। बस यही तारीख बिनाए दावा व मुखास्मत दावा है। राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर होने के कारण तहसीलदार रायसिंहनगर को आवश्यक पक्षकार बनाया गया।

अतः वादीगण का वाद पत्र निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि चक 15 पी एस तहसील रायसिंहनगर के खाता नं. 58/38 के मु.नं. 25-27-38-51-62-73 की कुल 15.841 है (गै0मु0 रास्ता 0.013, नहरी 13.324, बारानी 2.429 गैरमु0 खाला 0.075 है.) खातेदारी भूमि का वादीगण को वाद पत्र की मद सं. 4 की मद सं. 1 ता 4 में दर्ज अनुसार बंटवारा किया जाकर खाता विभाजन की डिक्री पारित फरमायी जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किये जाने के आदेश पारित किये जावे। अन्य कोई अनुतोष हो तो न्यायालय हम वादीगण को दिलाया जावे।

2. वादीगण के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित पक्षकारान को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण सं. 1-2 व 7 ता 9 की तामील स्वयं पर होने के बावजूद हाजिर नहीं आने पर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 3-4 के सम्मन अखबार में छाया करवाया गया। उसके बावजूद हाजिर नही आने पर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 10 ने जबाव दावा प्रस्तुत किया। अपने जबाव दावा में कोई विरोध प्रकट नही किया। प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गई कि :-

1. आया कि वादीगण चक 15 पी एस खाता नं. 58/38 के मु.न. 25-27-38-51-62-73 की कुल 15.841 है. (नहरी, बारानी, रास्ता, खाला) खातेदारी भूमि में वादी सं. 4 हरमीतकौर का 0.961 है. हक हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है ?
-:वादीगण

2. आया कि वादीगण विवादित भूमि चक 15 पी एस खाता नं. 58/38 के मु.न. 25-27-38-51-62-73 की 15.841 है. भूमि का मुताबिक घोषणा एवं घरेलू बंटवारानामा अनुसार वादीगण अपने हक-हिस्सा की भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी है ?
-:वादीगण

3. अनुतोष न्यायालय की आज्ञा से।

3. वादीगण ने अपने तहरीर साक्ष्य में अमृतपाल सिंह पुत्र जसवन्त सिंह, जसवन्तसिंह पुत्र हरनेक सिंह के शपथ -पत्र प्रस्तुत किये। प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही हो चुकी है। उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद पत्र. के अनुसार तहसीलदार रायसिंहनगर से भूमि विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक /भू.अ./2024/ 2221 दिनांक 23.5.2024 के द्वारा भूमि विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जिस पर सम्बन्धित पक्षकारान को सुना गया। किसी भी पक्षकारान के द्वारा एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाना न्यायासंगत प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के संलग्न फर्द मौका का अवलोकन किया। जिस पर अंकन अनुसार "विभाजन प्रस्ताव लिखा जाकर पढ़कर सुनाया गया व जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी द्वारा सहमति स्वरूप अंगूठा/हस्ताक्षर किये गये।" चूंकि उपरोक्त खाता विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की सहमति के आधार पर तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाकर विवादित भूमि चक 15 पी एस के खाता नं. 58/38 के मु.नं. 25.-27-38-51-62-73 की कुल 15.841 है0(गै0मु0 रास्ता 0.013, नहरी 13.324, बरानी 2.429 गैरमु0 खाला 0.075 है.) के मध्य प्राप्त विभाजन प्रस्ताव में तहसीलदार की अभिशाषां के अनुसार निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है -

01. वादी सुखजीतकौर पुत्र विशन सिंह के हिस्सा में :- वाके चक 15 पी एस के प.न. 149/278 मु.न. 27 के कि.न. 20/0.253 है. नहरी भूमि।
02. वादी जसवन्त सिंह पुत्र हरनेक सिंह के हिस्सा में :- वाके चक 15 पी एस के प.न. 149/278 मु.न. 27 के कि.न. 21/0.152, 22/0.228, 23/0.171 कुल 0.551 है0 नहरी भूमि।
03. वादी अमृतपाल सिंह पुत्र जसवन्त सिंह के हिस्सा में :- वाके चक 15 पी एस के प. न. 149/278 मु.न. 27 के कि.न. 23/0.057, 24/0.228, 25/0.228 कुल 0.513 है0 व प.न. 146/281 मु.न. 51 के कि.न. 18/0.038 है. कुल 0.551 है. नहरी बरानी भूमि।
04. वादी हरमीतकौर पत्नी जगतार सिंह के हिस्सा में :- वाके चक 15 पी एस के प.न. 149/278 मु.न. 27 के कि.न. 18/0.126, 19/0.253, 21/0.076 कुल 0.455 है0 नहरी व प.न. 146/281 मु.न. 51 के कि.न. 14/2 के 0.228 है., 17/0.253, 18/0.025 कुल 0.506 है. बारी कुल तादाद 0.961 है. भूमि (नहरी 0.455 है. बरानी 0.506 है. भूमि)

बाकी खाता बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल - दरामद किया जावे। इसी आशय की पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर

डिक्री व मुकदमें इत्तादाई
(आदेश 20 रूल 6-7 जाब्ता : दीवानी)
CIVIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर
बईजलास : सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

178/2019
आर.ए.एस. : 2019/00259

01. सुखजीतकौर पुत्री श्री विशनसिंह जाति जटसिख साकिन 15 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0।
02. जसवन्त सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह जाति जटसिख साकिन 15 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0।
03. अमृतपाल सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह जाति जटसिख साकिन 15 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0।
04. हरमीत कौर पत्नी जगतार सिंह जाति जटसिख साकिन 15 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0।

बनाम

01. दर्शन सिंह पुत्र सन्ता सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 पी एस
02. सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र धर्म सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 पी एस
03. चरण सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 पी एस
04. प्यारा सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 पी एस
05. धर्म सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 पी एस
06. हरबन्स सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 पी एस
07. लखविन्द्र कौर पुत्री दिलबाग सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 पी एस
08. हरप्रीत कौर पुत्री दिलबाग सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 पी एस
09. यशदीप सिंह पुत्र यशपाल सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 पी एस तहसील रायसिंहनगर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

अन्तर्गत धारा 53-88-209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री गुरप्रताप सिंह अधिवक्ता वादीगण
प्रतिवादीगण एक पक्षीय

-: निर्णय :-

दिनांक : 25.07.2024

वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि -वाद के वादी के अधिवक्ता श्री गुरप्रतापसिंह, प्रतिवादीगण- के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही । तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा प्रस्तुत भूमि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.05.2024 के अनुसार डिक्री दी जाती हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। तहसीलदार के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.05.2024 के अनुसार डिक्री दी जाती है कि :-

01. वादी सुखजीतकौर पुत्र विशन सिंह के हिस्सा में :- वाके चक 15 पी एस के प.न. 149/278 मु. न. 27 के कि.न. 20/0.253 है.नहरी भूमि।
02. वादी जसवन्त सिंह पुत्र हरनेक सिंह के हिस्सा में :-वाके चक 15 पी एस के प.न. 149/278 मु.न. 27 के कि.न. 21/0.152, 22/0.228, 23/0.171 कुल 0.551 है0 नहरी भूमि।
03. वादी अमृतपाल सिंह पुत्र जसवन्तसिंह के हिस्सा में :- वाके चक 15 पी एस के प.न. 149/278 मु.न. 27 के कि.न. 23/0.057, 24/0.228, 25/0.228 कुल 0.513 है0 व प.न. 146/281 मु.न. 51 के कि.न. 18/0.038 है. कुल 0.551 है. नहरी बरानी भूमि।
04. वादी हरमीतकौर पत्नी जगतार सिंह के हिस्सा में :- वाके चक 15 पी एस के प.न. 149/278 मु. न. 27 के कि.न. 18/0.126, 19/0.253, 21/0.076 कुल 0.455 है0 नहरी व प.न. 146/281 मु.न. 51 के कि.न. 14/2 के 0.228 है., 17/0.253, 18/0.025 कुल 0.506 है. बारी कुल तादाद 0.961 है. भूमि (नहरी 0.455 है. बरानी 0.506 है. भूमि) इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल- दरामद किया जावे। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा।

डिक्री आज दिनांक 25.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुभाष चन्द्र)

आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प ड्यूटी	400	7. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		8. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प.....		9. प्लीडर की फीस	
4. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		10. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. कमिश्नर की फीस		11. आदेशिका की तामील	
6. आदेशिका की तामील		12. कमिश्नर की फीस	
जोड़	400 / -	जोड़	


 उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर